न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 3/2024

वादीगण:-

1. गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह जाति दरोगा निवासी कापरडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. श्रीमति इन्द्रा कंवर पुत्री ढगलसिंह पत्नी चैनसिंह जाति दरोगा निवासी पालियास तहसील डेगाना जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. जयसिंह पुत्र अम्बालाल जाति दरोगा निवासी कापरडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. श्रीमति ओम कंवर पत्नी अम्बालाल जाति दरोगा निवासी कापरडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

- - - - -

उपस्थिति :- वादीगण - श्री गणपतलाल चौधरी,अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 3 -सरकारी पैरोकार

:: **आदेश** :: **दिनांकः-** 5/5/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 780 रकबा 0.7443 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादीगण के पिताजी ढगलसिंह पुत्र माधोसिंह की 1/2 हिस्से की संयुक्त खातेदारी की थी। ढगलसिंह के दो पुत्र गणपतसिंह, गुमानसिंह तथा एक पुत्री इन्द्रा कंवर है। खातेदार ढगलसिंह का देहान्त सन् 2007 में हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादीगण के पिताजी ढगलसिंह उर्फ ढगलाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादीगण का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश गोविन्दराम व इन्द्रा देवी नाम लिख दिया, जबकि वादी संख्या 1 का वास्तविक नाम गणपतसिंह तथा वादी संख्या 2 का वास्तविक नाम इन्द्रा कंवर है। इसी प्रकार ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 22/27 रकबा 2.4270 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादीगण के पिताजी ढगलसिंह पुत्र माधोसिंह की खातेदारी की थी। ढगलसिंह के दो पुत्र गणपतसिंह, गुमानसिंह तथा एक पुत्री इन्दा कंवर है। खातेदार ढगलसिंह का देहान्त सन् 2007 में हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादीगण के पिताजी ढगलसिंह उर्फ ढगलाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादीगण का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश गोविन्दराम व इन्द्रा देवी नाम लिख दिया, जबकि वादी संख्या 1 का वास्तविक नाम गणपतसिंह तथा वादी संख्या 2 का वास्तविक नाम इन्द्रा कंवर है। वादी संख्या 1 को घर में लाड प्यार से गोविन्दसिंह

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पुकारते है और वादी संख्या 1 का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम गणपतसिंह लिखा हुआ है। जब वादीगण के पिताजी ढगलसिंह उर्फ ढगलाराम का देहान्त हुआ उस समय फौतेदगी नामान्तरकरण में भूलवश या त्रुटीवश वादी संख्या 1 का नाम गोविन्दसिंह तथा वादी संख्या 2 का नाम इन्द्रा देवी लिखवा दिया, जबकि वादी संख्या 1 व 2 का सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उसका वास्तविक नाम गणपतसिंह तथा इन्द्रा कंवर है। वादीगण अभी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, अंकतालिका, पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर साहब के समक्ष पेश किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम गणपतसिंह व इन्द्रा कंवर लिखा हुआ है और जमाबन्दी में गोविन्दराम व इन्द्रा देवी लिखा हुआ है, जिस पर बैंक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादीगण को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे। इस कारण वादीगण को राजस्व रेकर्ड में अपने गोविन्दराम के स्थान पर गणपतसिंह तथा इन्द्रा देवी के स्थान पर इन्द्रा कंवर नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पेश करना पड़ रहा है। खसरा नम्बर 780 रकबा 0.7443 हैक्टेयर में 1/6 वां हिस्सा तथा खसरा नम्बर 22/27 रकबा 2.4270 हैक्टेयर में 1/3 वां हिस्सा का खातेदार गुमानसिंह उर्फ गुमानराम पुत्र ढगलसिंह का निहित है। खातेदार गुमानसिंह उर्फ गुमानराम का देहान्त दिनांक 19.12.2018 को हो चुका है। खातेदार गुमानसिंह उर्फ गुमानराम लाऔलाद फौत हो चुका है, उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान उसका सगा भाई वादी संख्या 1 गणपतसिंह तथा उसकी सगी बहिन वादी संख्या 2 श्रीमति इन्द्रा कंवर है, इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है। इस कारण खातेदार गुमानसिंह उर्फ गुमानराम की भूमि में वादीगण अपनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित कराने के अधिकारी है। वादी संख्या 1 गोविन्दराम व गणपतसिंह तथा वादी संख्या 2 इन्द्रा देवी व इन्द्रा कंवर एक ही व्यक्ति व औरत है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने विवादग्रस्त भूमि दावे के पद संख्या 1 से 2 की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पेश नही की है। वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में गोविन्दराम व इन्द्रा देवी नाम लिख देने से वादीगण न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकता है। वादीगण को घर पर लाड़ प्यार से गोविन्दराम पुकारते है. इस कारण वादी के पिताजी ढगलसिंह उर्फ ढगलाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय भूलवश या बीना जानकारी के वादी संख्या 1 का नाम गोविन्दराम व वादी संख्या 2 का नाम इन्द्रा देवी दर्ज कर दिया, जबकि वादीगण के सरकारी दस्तावेज गणपतसिंह व इन्द्रा कंवर नाम से जारी किये हुए है, अतः राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम गलत अंकित करना एक मानवीय भूल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिए दुरूस्त

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

किया जाना आवश्यक है। वाद कारण वादीगण अभी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक मैनेजर के पास गया और उनके द्वारा रेकर्ड में शुद्धि का इन्द्राज कराने का कहने पर वादीगण को वाद कारण ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन है कि ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 780 रकबा 0.7443 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में गोविन्दराम पुत्र ढगलाराम के स्थान पर गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह तथा इन्द्रा देवी पुत्री ढगलाराम के स्थान पर इन्द्रा कंवर पुत्री ढगलसिंह की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण स्वीकृत करने का आदेश फरमावे। ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 22/27 रकबा 2.4270 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में गोविन्दराम पुत्र ढगलाराम के स्थान पर गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह तथा इन्द्रा देवी पुत्री ढगलाराम के स्थान पर इन्द्रा कंवर पुत्री ढगलसिंह की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण स्वीकृत करने का आदेश फरमावे। ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 780 रकबा 0.7443 हैक्टेयर में से 1/6 वां हिस्सा तथा खसरा नम्बर 22/27 रकबा 2.4270 हैक्टेयर में दर्ज गुमानराम पुत्र ढगलाराम के स्थान पर वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित की जाने का आदेश फरमावें ।

वादीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर बाद तामील कोई उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 3 सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कापरडा के खसरा नंबर 22/27 रकबा 2.4270 हैक्टयर, खसरा नंबर 780 रकबा 0.7443 हैक्टयर आई हुई है। जो वादीगण के संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिनमें वादीगण का नाम इन्द्रादेवी पुत्री ढगलाराम व गुमानराम पुत्र ढगलाराम दर्ज है वादीगण का प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में नाम जरिये विरासत नामा. सं. 1817 के जरिये ढगलाराम पुत्र माधाराम के फौत होने पर गोविन्दराम, गुमानराम पुत्र ढगलाराम, इन्द्रादेवी पुत्री ढगलाराम कौम दरोगा दर्ज हुआ है। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड, परिचय कार्ड इत्यादि में नाम गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह व इन्द्राकंवर पुत्री ढगलसिंह दर्ज है। वादीगण सरकारी दस्तावेज अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अपना नाम गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह व इन्द्राकवंर पुत्री ढगलसिंह दर्ज करवाना चाहते है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम कापरडा के खसरा नंबर 22/27 रकबा 2.2470 हैक्टयर, खसरा नंबर 780 रकबा 0.7443 में दर्ज प्रविष्टि गुमानाराम पुत्र ढगलाराम व इन्द्रादेवी पुत्री ढगलाराम के स्थान पर नवीन इन्द्राज गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह व इन्द्राकंवर पुत्री ढगलसिंह दर्ज किये

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

जाने में भूमिधारी की सहमति है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह जाति दरोगा द्वारा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खसरा नम्बर 780 ग्राम कापरडा , प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खसरा नंबर 22/27 ग्राम कापरडा, प्रदर्श 3 मृत्यु प्रमाण पत्र ढगलसिंह पुत्र माधोसिंह, प्रदर्श 4 मृत्यु प्रमाण पत्र गुमानसिंह पुत्र ढगलसिंह, प्रदर्श 5 आधार कार्ड गणपतसिह पुत्र ढगलसिंह, प्रदर्श 6 आधारकार्ड इन्द्राकंवर पत्नी चैनसिंह, प्रदर्श 7 जाति प्रमाण पत्र गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह, प्रदर्श 8 विद्युत बिल गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 पहचान पत्र गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह , प्रदर्श 2 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह, प्रदर्श 3 मूल निवास प्रमाण पत्र गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह, प्रदर्श 4 परिवार राशन कार्ड गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह, प्रदर्श 5 विद्युत बिल गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह, प्रदर्श 6 आधारकार्ड गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह, प्रदर्श 7 आधार कार्ड इन्द्रा कवंर पत्नी चेनसिंह आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि सरकारी/निजी दस्तावेजात में वादीगण का नाम गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह व इन्द्रा कंवर पुत्री ढगलसिंह अंकित है। जबकि राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम गोविन्दराम पुत्र ढगलाराम व इन्द्रादेवी पुत्री ढगलाराम इन्द्राज हो गया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने पर पाया गया कि राजस्व ग्राम कापरडा के खसरा नंबर 22/27 व खसरा नंबर 780 तथा खसरा नंबर 22/26 के पूर्व खातेदार ढगलाराम पुत्र माधाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी जो वादीगण के पिता है। खातेदार ढगलाराम के फौत होने के उपरान्त गोविन्दराम, गुमानाराम पुत्र स्व.ढगलाराम व इन्द्रादेवी पुत्री स्व. ढगलाराम जरिये नामान्तरकरण सं. 1817 के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुये। तभी से वादीगण का गलत नाम राजस्व रेकर्ड में चला आ रहा है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम गोविन्दराम पुत्र ढगलाराम के स्थान पर गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह व इन्द्रादेवी पुत्री ढगलाराम के स्थान पर इन्द्राकंवर पुत्री ढगलसिंह की घोषणा कराने के अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने गोविन्दराम पुत्र ढगलाराम के स्थान पर गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह व इन्द्रादेवी पुत्री ढगलाराम के स्थान पर इन्द्राकंवर पुत्री ढगलसिंह किये जाने पर अपनी सहमती प्रदान की है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम कापरडा के खसरा नंबर 780 व खसरा नंबर 22/27 के राजस्व रेकर्ड में गोविन्दराम पुत्र ढगलाराम के स्थान पर गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

व इन्द्रादेवी पुत्री ढगलाराम के स्थान पर इन्द्राकंवर पुत्री ढगलसिंह की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 5/5/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**
गणपतसिंह जयसिंह वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- 3/2024

निर्णय **दिनांक :-** 5/5/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम कापरडा के खसरा नंबर 780 व खसरा नंबर 22/27 के राजस्व रेकर्ड में गोविन्दराम पुत्र ढगलाराम के स्थान पर गणपतसिंह पुत्र ढगलसिंह व इन्द्रादेवी पुत्री ढगलाराम के स्थान पर इन्द्राकंवर पुत्री ढगलसिंह की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकददमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर० तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा